

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(100)त.शि./2019

जयपुर दिनांक 13.08.2021

आदेश

तकनीकी शिक्षा विभाग के निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

| क. सं. | कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री | पदनाम | कहां से | कहां को | विशेष विवरण |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| 1 | पोकरलाल मालवीय | विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सिरोंही | प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर | संयुक्त निदेशक पद के विरुद्ध |
| 2 | मनीष परिहार | प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जालोर | टीटीसी एण्ड एलआरडीसी जोधपुर | विभागाध्यक्ष सीडीसी पद के विरुद्ध |
| 3 | सरोज चौधरी | प्रवक्ता यांत्रिकी | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जालोर (कैम्प पाली) | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर | विभागाध्यक्ष यांत्रिकी पद के विरुद्ध |
| 4 | प्रेमचन्द मेघवाल | वरिष्ठ प्रवक्ता विद्युत | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर | प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर | सहायक निदेशक के पद के विरुद्ध |
| 5 | मोनिका मीना | प्रवक्ता कम्प्यूटर | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर | प्रवक्ता विद्युत के रिक्त पद के विरुद्ध |
| 6 | दीपक जांगिड | प्रवक्ता कम्प्यूटर | राजकीय पॉलिटेक्निक महा. पाली | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर | सहायक निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध |
| 7 | गीतेश्वर शरण वाष्पैय | प्रवक्ता यांत्रिकी | राजकीय पॉलिटेक्निक महा. पाली | तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर | सहायक निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध |

आज्ञा से

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीक शिक्षा

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जीबी) मुख्यमंत्री कार्यालय के आशा टीप क्रमांक CM-JS(GB)/ Technical Edu./ TR/Jodh./2021/M-900 जयपुर दिनांक 04.08.2021 के क्रम में।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।
6. सम्बन्धित कार्मिक ।
7. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीक शिक्षा

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(100)त.शि./2019

जयपुर दिनांक 13.08.2021

आदेश

तकनीकी शिक्षा विभाग के निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री | पदनाम | कहां से | कहां को | विशेष विवरण |
|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| 1 | अंकुर वर्मा | प्रवक्ता कम्प्यूटर | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जालोर | राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर | रिक्त पद पर |

आज्ञा से

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीक शिक्षा

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जीबी) मुख्यमंत्री कार्यालय के आशा टीप क्रमांक CM-JS(GB)/ Technical Edu./ TR/Jodh./2021/M-900 जयपुर दिनांक 04.08.2021 के क्रम में ।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर ।
5. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो ।
6. सम्बन्धित कार्मिक ।
7. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीक शिक्षा



राजस्थान-सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक :- एफ 6(22)तशिनि/ई-1/सी-2/

दिनांक :- 13.08.2021

:: कार्यालय-आदेश ::

निम्नलिखित अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं। संस्था/कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करवायें :-

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम मय पद नाम सर्व श्री/श्रीमती | वर्तमान पदस्थापन स्थान | नवीन पदस्थापन स्थान | विवरण |
|----------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | इन्साफ अली, सहायक प्रशासनिक अधिकारी | राज. पॉलि. महा., जालोर(केम्प-पाली) | राज. पॉलि. महा., जोधपुर | रिक्त पद पर |

नोट :- उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। सम्बन्धित कार्मिक तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, उन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक :- एफ 6(22)तशिनि/ई-1/सी-2/किएप-जोधपुर 26से 32

दिनांक :- 13.08.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जीबी) मुख्यमंत्री कार्यालय के आशा टीप क्रमांक CM-JS(GB)/ Technical Edu./ TR/Jodh./2021/M-900 जयपुर दिनांक 04.08.2021 के क्रम में।
4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थान प्रधान।
7. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा